आवेदन पत्र क्रमांक :–

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, रिंग रोड न0 1, तेलीबांधा, रायपुर
फोन : 0771–2583652–54 फैक्स : 0771–2583651 ई–मेल – dtic-directorate.cg@gov.in
Web Site :- WWW.industries.cg.gov.in

(सामान्य कक्ष)

क्रमांक : 01/सामा./2019/ रायपुर, दिनांक

निविदा फार्म

01. फर्म या व्यक्ति का नाम : ....
02. पिता/पति का नाम : ....
03. आधार कार्ड/पेन कार्ड नंबर लिखे : ....
(फार्म के साथ छायाप्रति संलग्न करे) : ....
04. पत्र व्यवहार का पता (दूरभाष सहित) : ....
: ....
05. संबंधित पुलिस थाना का विवरण : ....
: ....
06. बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ....

क्र.	बैंक का नाम	राशि	बैंक ड्राफ्ट नं./दिनांक

07. दर

क्र.	वाहन का नाम	मॉडल	वाहन क्रमांक	न्यूनतम ऑफसेट मूल्य	निविदा मूल्य (आवेदक द्वारा भरा जावेगा)	रिमार्क
01.	इंडिका	2005	CG02-2885	18000/–		आर.सी.बुक उपलब्ध है
02.	इंडिगो	2012	CG02-4965	39000/–		आर.सी.बुक उपलब्ध है
03.	इंडिका	2010	CG02-4340	28500/–		आर.सी.बुक उपलब्ध है

नियम एवं शर्ते :

1. वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में मूल्य दर आमंत्रित की जाती है एवं वाहन प्रदाय भी उसी स्थिति में की जावेगी।

2. प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग निविदा फार्म जमा करना अनिवार्य होगा एक निविदा फार्म में एक से अधिक वाहनों का मूल्य दर अंकित किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा तथा किसी भी प्रकार की अपील अमान्य होगी।
3. प्रत्येक वाहन के लिए अमानत राशि रूपये 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट संचालक, उद्योग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदा फार्म में निविदा मूल्य साफ, सुंदर और सुस्पष्ट अंको एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा, कांट–छांट युक्त निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।
5. निविदा मूल्य दर बंद लिफाफा में ही स्वीकार की जावेगी लिफाफा के ऊपर वाहन का प्रकार/वाहन क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य होगा तथा संचालक, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, उद्योग भवन, रिंग रोड न0 1, तेलीबांधा, रायपुर के पते पर जमा लिया जावेगा।
6. अधिकतम मूल्य दर प्रथम एवं द्वितीय मूल्य वाले निविदा कर्ता की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत राशि 15 दिवस के भीतर वापस कर दी जावेगी।
7. शासन द्वारा नियमानुसार राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी शुल्क अलग से बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।
8. सफल प्रथम निविदाकर्ता को निविदा मूल्य की संपूर्ण राशि का बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट कार्यालीन 07 दिवस के अन्दर सायं 05 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा, राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुए, द्वितीय अधिकतम निविदा मूल्य वाले निविदाकर्ता को 05 दिवस के भीतर संपूर्ण राशि जमा अनिवार्य होगा, राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुए, तृतीय अधिकतम निविदा मूल्य वाले निविदाकर्ता को 05 दिवस के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने हेतु निर्देश दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा 15 दिवस के अंदर वाहन उठाना अनिवार्य होगा। राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में पूर्व में जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी।
10. निविदा फार्म दिनांक 12.08.2024 को दोपहर 12.00 बजे से प्राप्त किया जा जावेंगा।
11. निविदा फार्म दिनांक 27.08.2024 को सायं 3.00 बजे तक डाक/व्यक्तिगत रूप से उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, उद्योग भवन, रिंग रोड न0 1, तेलीबांधा, रायपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बाद में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. भरा हुआ निविदा फार्म दिनांक 27.08.2024 को सायंकाल 04.00 बजे उद्योग संचालनालय रायपुर के द्वारा गठित अपलेखन समिति के समक्ष खोला जावेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं उनकी अनुशंसा के आधार पर अपलेखन की कार्यवाही की जावेगी। उक्त प्रक्रिया में निविदाकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
13. उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ, रायपुर को समस्त निविदा या किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. वाहन पर वर्तमान में शासकीय पंजीयन क्रमांक अंकित है। उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर से निविदा उपरांत प्राप्त शासकीय वाहन का उपयोग आर.टी.ओ. से नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करने उपरांत ही उपयोग में लाया जाना मान्य होगा। बिना नया पंजीयन कराये आबंटित उक्त वाहन का उपयोग करने पर विभाग द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगें।

सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा नियम व शर्तो को भली भांति पढ़ा गया है एवं समझ लिया गया है तथा मुझे निविदा प्रपत्र उल्लेखित अनुक्रमांक 01 से अनुक्रमांक 14 तक अंकित नियम व शर्ते मंजूर है।

हस्ताक्षर

(निविदाकर्ता)

नामः..

पताः..

....

मो.नं..